न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 232/2020
3. उनवान :सरकार जरिये कविता शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्रीमती वर्षा नानवानी पत्नी श्री दिलीप नानवानी निवासी 263/656, प्रताप नगर, एनआरआई सर्किल के पास, जयपुर, पुलिस थाना प्रताप नगर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कविता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 30.03.2016 को शिकायत की जांच हेतु प्लाट नं 263/656, प्रताप नगर, एनआरआई सर्किल के पास, जयपुर पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थीया श्रीमती वर्षा नानवानी पत्नी श्री दिलीप नानवानी से एक घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 14.200 किग्रा एलपीजी, एक विद्युत मोटर सिल्वर कलर बिना मार्का, एक लोहे का प्लास, एक पेचकस व चार बोल्ट पाना जब्त किये गये। उक्त घरेलू सिलेण्डर से अवैध रूप से वाहनों में गैस भरी जा रही थी। मौके पर अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीया को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 17.07.2017 को अप्रार्थीया उपस्थित नहीं हुई। लम्बे समय तक अप्रार्थीया/अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीया ना तो प्रकरण में जवाब देना चाहती है, ना ही बहस करना चाहती है। अतः पत्रावली में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही बहस के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 30.03.2016 को जब्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 14.200 किग्रा एलपीजी, एक विद्युत मोटर सिल्वर कलर बिना मार्का, एक लोहे का प्लास, एक पेचकस व चार बोल्ट पाना द्वारा अप्रार्थीया घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रूप से गैस भरने का कार्य करती थी। अप्रार्थीया से जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया और ना ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम पेश किया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा एक घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी मय 14.200 किग्रा एलपीजी, एक विद्युत मोटर सिल्वर कलर बिना मार्का, एक लोहे का प्लास, एक पेचकस व चार बोल्ट पाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर